फारम सं. 562

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका ।

The Branch Manger
Oriental Insurance Co.Ltd.
Vrs
Raj Kishor Sharama

आदेश फलक

देखे अभिलेख हस्तक 1949 का नियम129

आदेश पत्रक ता0...से...तक

जिला. **H.R.C.A** सं0............ 01 ....सन् 2022-23

केस का प्रकार..

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश ओर पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ 3.
9/8/22	यह एच0आर0सी0 अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के एच0आर0सी वाद सं0-11/2018 में पारित आदेश दिनांक-27.10.2021 के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद को अंगीकृत किया गया। विद्वान GP तथा विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेखों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अनु० पदा० वाद के निर्णय [illegible] स्पष्ट हैं। कि अनु० पदा० वाद [illegible] में उल्लेखित उपादानों के आधार पर उक्त वाद विषय में उल्लेखित है कि मासिक [illegible] की मांग की है कि मासिक पुरा है, पर यह भी उल्लेखित है कि मासिक 1.1.2009 से 31.12.2013 तक भुगतान था। पुनः 2014 में विपक्ष आवेदन के द्वारा 2016 से भुगतान करने के विपक्ष को अधिकार तथा भुगतान [illegible] विद्वान न्यायालय के आदेश में स्पष्ट विवरण विद्वान न्यायालय के आदेश में उल्लेखित नहीं है। विद्वान न्यायालय के निर्णय को विचार हेतु पुनः निष्पादन हेतु Remand किया जाता है, निष्पादित हो 5/9/22	Noted. 183/Dozdl-16/9/22

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.09 17:14:13 +05:30
Location: 169.254.227.244